



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 719]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 12, 2019/अग्रहायण 21, 1941

No. 719]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 12, 2019/AGRAHAYANA 21, 1941

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2019

**सा.का.नि. 912(अ).**—केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियमों को तात्कालिक प्रभाव से विखंडित करती है, अर्थात् :-

- (i) सा.का.नि. सं. 663(अ), तारीख 17 दिसंबर, 1981 द्वारा प्रकाशित डाकघर बचत खाता नियम, 1981;
- (ii) सा.का.नि. सं. 664(अ), तारीख 17 दिसंबर, 1981 द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय बचत सावधि जमा नियम, 1981;
- (iii) सा.का.नि. सं. 666(अ), तारीख 17 दिसंबर, 1981 द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा नियम, 1981;
- (iv) सा.का.नि. सं. 701(अ), तारीख 10 अगस्त, 1987 द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय बचत (मासिक आय खाता) नियम, 1987;
- (v) सा.का.नि. सं. 496(अ), तारीख 1 मई, 1989 द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय बचत-पत्र (सातवां निर्गम) नियम, 1989;
- (vi) सा.का.नि. सं. 490(अ), तारीख 2 अगस्त, 2004, द्वारा प्रकाशित वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम नियम, 2004;
- (vii) सा.का.नि. सं. 705 (अ), तारीख 23 सितंबर, 2014 द्वारा प्रकाशित किसान विकास पत्र नियम, 2014;
- (viii) सा.का.नि. सं. 323(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित सुकन्या समृद्धि खाता नियम, 2016:

परंतु ऐसी सुस्ती,-

- (i) उक्त नियमों के पूर्व प्रचालन या कुछ किया गया है या करने का लोप किया गया है या उसमें सहन किया गया हो ; या

Date

Signature of the account holder/s

Place

(Name and address)

**For the use of Accounts Office**

The account no..... which was opened on ..... with Rs..... (Rupees.....) under..... (Name of scheme) and matured on ....., has been extended for a period of \_\_\_\_\_ years with effect from ..... to .....under rule.....of the.....scheme.

Necessary entries have been made in the records and pass book/deposit receipt/ statement of account.

Date

Signature of Postmaster/Manager

Seal

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2019

**सा.का.नि. 917(अ).**—केंद्रीय सरकार, सरकार बचत संवर्धन अधिनियम 1873 (1873 का 5) की धारा 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित योजना बनाती है अर्थात:-

1 सक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इस योजना का सक्षिप्त नाम राष्ट्रीय बचत (मासिक आय खाता) योजना, 2019 है।

(2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होनी।

2 **परिभाषा** (1) इस योजना में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो

(क) “खाता” से इस योजना के अधीन खोला गया कोई खाता अभिप्रेत है

(ख) “खाता धारक” वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके नाम से खाता धारित है

(ग) “अधिनियम” से सरकार बचत संवर्धन अधिनियम 1873 (1873 का 5) अभिप्रेत है

(घ) “प्ररूप” से इस योजना से सलग्न प्ररूप अभिप्रेत है।

(ङ) “साधारण नियम” से सरकार बचत संवर्धन साधारण नियम 2018 अभिप्रेत है।

(च) “वर्ष” से खाते में पहले निक्षेप की तारीख से आरम्भ होने वाली 12 मास की अवधि अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम और साधारण नियमों में हैं।

3 **खाते का खोला जाना-** (1) खाता, खाता कार्यालय में प्ररूप- 1 में आवेदन पर :-

(i) किसी एकल व्यस्क द्वारा;

(ii) तीन तक संयुक्त व्यस्क द्वारा;

(iii) कोई अवयस्क जिसने दस वर्ष की आयु पूरी कर ली है ;

(iv) किसी अवयस्क या विकृतचित्त व्यक्ति की और से संरक्षक द्वारा खाता खोला जा सकेगा;

(2) कोई व्यक्ति इस के अधीन अधिकतम सीमा के अध्याधीन अधिकतम निक्षेप सीमा जो पैरा 4 के उप पैरा (2) में यथा विहित की गई हैं एकल खाता या संयुक्त खाते एक या एक से अधिक खोल और परिचालित कर सकेगा।

उप पैरा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट अधिकतम निक्षेपों के प्रयोजन के लिए खाताधारक संयुक्त खाते के शेष में आधा या एक तिहाई ऐसे शेष का अंश ले सकेगा मानो खाता दो व्यक्तियों या तीन व्यक्तियों द्वारा चलाया जा रहा है।

**4. निक्षेप और प्रत्याहरण-** (1) खाता एक हजार रुपये के या एक हजार रुपये के गुणित में किसी रकम के कम से कम निक्षेप से खोला जाएगा और यह किसी खाते में केवल एक निक्षेप होगा।

(2) पैरा 3 के खण्ड (iii) और (iv) के अधीन खोले गए खाते में अधिकतम चार लाख पचास हजार रुपये एकल खाते में और नौ लाख रुपये संयुक्त खाते में निक्षेप किए जा सकेंगे।

(3) सभी खाते में निक्षेपों को किसी व्यक्ति के लिए एक साथ हिसाब में लिया जाएगा जो एकल खाते में चार लाख पचास हजार रुपये और संयुक्त खाते में नौ लाख रुपये से अधिक नहीं होंगे।

**5 निक्षेप पर ब्याज-** (1) इस योजना के अधीन किए गए निक्षेप पर वार्षिक 7.6 प्रतिशत की दर से ब्याज बहन किया जाएगा।

(2) ब्याज निक्षेप की तारीख से एक माह के पूरा होने पर खाता धारक को संदेय होगा।

(3) यदि ब्याज प्रत्येक माह पर संदेय है तो खाता धारक द्वारा दावा नहीं किया जाएगा ऐसा ब्याज किसी अतिरिक्त ब्याज से अर्जित नहीं किया जाएगा।

(4) ब्याज निकटतम एक रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा और इस प्रयोजनार्थ पचास पैसे या इससे अधिक की राशि को एक रुपया माना जाएगा तथा पचास पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जाएगा।

(5) जहाँ निक्षेप पैरा 4 के उप-पैरा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट अधिकतम सीमा के लिए आधिक्य में किया गया है वहा तत्काल लेखा अधिकारी खाताधारक को आधिक्य निक्षेप को वापस करेगा।

(6) उप-पैरा पाँच में निर्दिष्ट आधिक्य राशि डाकघर बचत खाते के लिए समय-समय पर लागू दर से ब्याज बहन करेगा और ऐसी राशि पर ऐसे निक्षेपक को संदेय होगा।

(7) उप-पैरा 6 में विनिर्दिष्ट ब्याज आधिक्य राशि के निक्षेप की तारीख से मास के अंत तक पूर्ववर्ती मास जिसमें निक्षेप वापस किया गया है।

(8) यदि मासिक ब्याज की संदेय की तारीख पर रविवार या कोई छुट्टी है संदेय तत्काल पूर्ववर्ती रविवार या किसी छुट्टी से कारबार दिवस पर देय माना जाएगा।

(9) यदि निक्षेप मास की 29, 30 और 31 तारीख पर किया गया है और यदि ये तारीख निम्नलिखित माह में नहीं आती है तो मासिक ब्याज का संदाय निम्नलिखित माह की अंतिम तारीख पर किया जाएगा और यदि ऐसा अंतिम दिवस छुट्टी है तो मासिक ब्याज पूर्ववर्ती दिवस पर अदा किया जाएगा।

**6 समयपूर्व खाते को बंद करना-** (1) खाता धारक प्ररूप 2 में आवेदन द्वारा ऐसे खाते को खोले जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात किसी भी समय खाते से निक्षेप को प्रत्याहरण और बंद करने के लिए निम्न शर्तों के अध्याधीन अनुज्ञात किया जा सकेगा:-

(i) यदि खाता ऐसे खाते के खोले जाने की तारीख से तीन वर्ष के अवसान पर या पहले बंद किया जाता है तो दो प्रतिशत के बराबर राशि निक्षेप से कम कर दी जाएगी और शेष उसे संदत की जाएगी।

(ii) यदि खाता ऐसे खाते के खोले जाने की तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात बंद किया जाता है तो एक प्रतिशत के बराबर राशि निक्षेप से कम कर दी जाएगी और शेष उसे संदत की जाएगी।

**7 खाते को बंद किया जाना-** (1) खाते के खोले जाने समय पर किया गया निक्षेप और उस पर उदभूत ब्याज प्ररूप 3 में आवेदन पर लेखा अधिकारी द्वारा खाता खोले जाने की तारीख से पाँच वर्ष के पूर्ण होने के पश्चात खाता धारक को संदत किया जायेगा।

(2) खाते की परिपक्वता से पहले खाताधारक की मृत्यु की दशा में खाता बंद किया जा सकेगा और निक्षेप पूर्ववर्ती मास जिसमें प्रतिदाय किया गया है मास तक ब्याज सहित साधारण नियमों के उपबंधों के अनुसार वापस किया जाएगा।

**8 साधारण नियमों का लागू होना-** साधारण नियम के उपबंध उन मामलों के संबंध में भी लागू होंगे जिनके लिए इस योजना में कोई उपबंध नहीं किए गए हैं।

**9 छूट देने की शक्ति-** जहाँ केंद्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट होती है कि इन नियमों के किसी प्रावधान के प्रचालन से खाताधारक को अनावश्यक कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे खाताधारक के संबंध में जो इन नियमों के अन्य

उपबंधो के लिए अप्रासंगिक न हो उस तरीके से आदेश द्वारा इसके कारणों को लिखित रूप में अभिविदित रखते हुए अधिनियम के उपबंध या उपबंधो की आवश्यकता में छूट दे सकती है।

[फा. सं. 2/2/2018-एनएस(भाग-I)]

रजत कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव

**प्ररूप 1**

**[पैरा 3 का उपपैरा 1 देखिए ]**

**(लने के लिए आवेदनखाता खो)**

सेवा में,

पोस्टमास्टर/प्रबंधक

-----  
-----

आवेदक/आवेदकों का  
फोटो चिपकाएं

श्रीमान,

मैं/हम -----(खाता धारक(कों)/संरक्षक) आपके डाक घर /बैंक में राष्ट्रीय बचत (मासिक आय खाता योजना) के अधीन खाता खोलने के लिए आवेदन करता हूं/ हैं ।

मैं/हम,-----रुपए/- -----(-----शब्दों में रुपए) नकद/चैक/डिमांड ड्राफ्ट संख्यांक-----तारीख-----आरंभिक जमा के रूप में निविदा करता हूं / हैं । मेरी /हमारी विशिष्टियां निम्न प्रकार हैं:-

1. प्रथम जमाकर्ता का नाम-----

पति/पिता/माता या न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक का नाम-----

जन्म की तारीख----- (दिदि/मम/वववव)

शब्दों में.....

2. दूसरे जमाकर्ता का नाम-----

पति/पिता/माता का नाम-----

जन्म की तारीख----- (दिदि/मम/वववव)

शब्दों में.....

3. तीसरे जमाकर्ता का नाम-----

पति/पिता/माता का नाम-----

जन्म की तारीख----- (दिदि/मम/वववव)

शब्दों में.....

4. अवयस्क/विकृतचित्त व्यक्ति खाताधारक का नाम

पिता/माता/संरक्षक का नाम

जन्म की तारीख----- (दिदि/मम/वववव)

शब्दों में.....

5. खाताधारक(कों) का आधार संख्यांक.....
6. खाताधारक(कों) का स्थायी खाता संख्यांक.....
7. वर्तमान पता.....  
 स्थायी पता.....
8. संपर्क ब्यौरे                      टेलीफोन नं.....  
    मोबाइल नं-----  
    ई-मेल आईडी-----
9. खाते का प्रकार एकल या संयुक्त या अवयस्क के मामले में संरक्षक के माध्यम से या विकृतचित्त व्यक्ति या नेत्रहीन या दिव्यांगजन किसी प्राधिकृत व्यक्ति के माध्यम से
10. (\*)अवयस्क के जन्म की तारीख के ब्यौरे  
 (अवयस्क के खाते के मामले में लागू)  
 (क) प्रमाणपत्र सं. ....  
 (ख) जारी होने की तारीख.....  
 (ग) जारी करने वाला प्राधिकारी.....
11. (\*) संरक्षक(प्राकृतिक/विधिक) का नाम  
 (अवयस्क/विकृतचित्त व्यक्ति की ओर से खाता खोले जाने की दशा में )
12. अन्य संलग्न केवाईसी दस्तावेजों के ब्यौरे 1. पहचान का सबूत.....  
 2. पते का सबूत.....
- निम्नलिखित दस्तावेज पहचान और पते के सबूत के प्रयोजन के लिए विधिमान्य दस्तावेजों के रूप में स्वीकृत किए जाते हैं:  
 1. पासपोर्ट 2. चालन अनुज्ञप्ति 3. मतदाता पहचान पत्र 4. नरेगा द्वारा जारी, राज्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जाँव कार्ड  
 5. नाम और पते के ब्यौरे सहित राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी पत्र;
13. खाते का प्रचालन एक साथ या उत्तरजीवी खाताधारक/खाताधारकों (क) सभी धारकों द्वारा  
 (संयुक्त खाते के मामले में) के द्वारा किया जाएगा (ख) या तो खाताधारक या खाताधारकों के द्वारा  
 उत्तरजीवी निक्षेपक/निक्षेपकों या
14. मेरा /हमारे नमूने हस्ताक्षर
1. .... 2..... 3.....  
 (नाम).....
1. .... 2. .... 3.....  
 (नाम) .....
1. .... 2.....  
 3..... नाम.
1. .... 2.....  
 3..... नाम.

मैं, स्कीम पर लागू उपबंधों और स्कीम को लागू सरकारी बचत संवर्धन नियम, 2018, और उसके अधीन समय-समय पर जारी संशोधनों, को पालन करने का वचन देता हूँ।

15 मैं देश में किसी डाकघर/बैंक में राष्ट्रीय बचत मासिक आय खाता के अधीन आजतक विद्यमान अपने ब्योरे की घोषणा करता हूँ।

क्रम. सं.	योजना का नाम	खाता खोलने की तारीख	निक्षेप की गई राशि	उपभोक्ता पहचान संख्या	खाता संख्या	डाकघरबैंक / का नाम
1.	राष्ट्रीय बचत मासिक आय खाता					

खाताधारक (कों) /संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठा छाप  
तारीख -----

### नामनिर्देशन

16. मैं/हम नीचे उल्लिखित व्यक्ति(यों) का नाम निर्देशन करता हूँ जिनको मेरी मृत्यु की दशा में अन्य व्यक्तियों को अपवर्जित करके राष्ट्रीय बचत सावधि जमा स्कीम 1/2/3/5 वर्ष में मेरी जमा रकम को मेरी मृत्यु के समय संदत्त की जाएगी:

क्र.सं.	नाम निर्देशिती(यों) का नाम (के नाम) और संबंध	पूरा पता(पते)	नाम निर्देशिती का आधार संख्यांक नाम (वैकल्पिक)	अवयस्क के मामले में नाम निर्देशिती के जन्म की तारीख	हकदारी का अंश	हकदारी की प्रकृति, न्यासी या स्वामी
1						
2						
3						
4						

चूंकि क्रम संख्या (कों)----- विनिर्दिष्ट नाम निर्देशिती (यां) अवयस्क है/हैं, मैं श्री/श्रीमती/कुमारी-----  
-----पुत्र/पुत्री/पत्नी-----निवासी-----को नाम निर्देशिती/नाम निर्देशितियों की अवयस्कता के दौरान मेरी मृत्यु की दशा में उक्त खाते के अधीन देय राशि को प्राप्त करने के लिए नियुक्त करता हूँ।

1. साक्षी के हस्ताक्षर-----

नाम और पता-----

2. साक्षी का नाम-----

नाम और पता-----

खाताधारक (कों) /संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठा छाप

स्थान-----

तारीख-----

### पोस्टऑफिस/बैंक के प्रयोग हेतु

यह खाता -----के नाम में तारीख -----को रु. -----के आरंभिक जमा के साथ -----  
-----स्कीम के अधीन (स्कीम का नाम) खाता संख्यांक-----तारीख-----द्वारा  
खोला गया है।

ग्राहक पहचान संख्यांक-----

नाम निर्देशन संख्यांक -----तारीख-----द्वारा रजिस्ट्रीकृत किया गया है

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुद्रा

### प्ररूप 2

#### [पैरा 6 देखिए]

#### (परिपक्वतापूर्व खाता बंद करने के लिए आवेदन)

सेवा में,

श्रीमान, पोस्टमास्टर/प्रबंधक

-----

-----

श्रीमान,

1. मैं अपने खाता संख्यांक-----जिसमें -----रुपए (रुपए-----केवल) को परिपक्वता पूर्व बंद करने की वांछा करता हूँ। आपसे नीचे दिए गए व्यौरों के अनुसार लागू शास्ति की कटौती के पश्चात् रकम के संदेय का अनुरोध करता हूँ।

कृपया मेरे बचत खाता संख्यांक-----स्थित -----(खाता कार्यालय का नाम) को रकम का प्रत्यय करें।

या

कृपया डिमांड ड्राफ्ट/पाने वाले के नाम चैक जारी करें

या

कृपया नकद संदाय करें (लागू, यदि रकम अनुज्ञेय सीमा से निम्न हो)

3. मैं घोषणा करता हूँ कि जिसके अधीन परिपक्वता से पूर्ण खाता बंद किया जा सकता है के उपबंधों की अनुपालना की गई है।

आवश्यक दस्तावेज, जहां लागू है, नीचे संलग्नित है :-

1.

2.

\*प्रमाणित किया जाता है कि उपयोग के लिए प्रत्याहृत/ ऋण की रकम -----जो जीवित है और अवयस्क है के प्रयोग के लिए अपेक्षित है।

तारीख:.....

जमाकर्ता /संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठा छाप

.....

(लेखा कार्यालय को जानने वाले किसी व्यक्ति द्वारा जमाकर्ता के अंगूठा छाप प्रमाणित किए जाने चाहिए)

**केवल कार्यालय के प्रयोग हेतु**

संदाय के ब्यौरे

खाते में पात्र अतिशेष .....

काटी गई शास्ति की रकम.....रुपए

संदत्त की जाने वाली कुल रकम.....(अंकों में)

(शब्दों में).....

तारीख मुद्रा..... पोस्टमास्टर/प्रबंधक के हस्ताक्षर

**निस्तारण**

(खाताधारक/संदेशवाहक द्वारा भरा जाए)

रुपए------(अंको में) -----(शब्दों में) नकद /चैक/डीडी संख्यांक -----तारीख-  
-----/खाता संख्यांक -----को अंतरण, द्वारा, प्राप्त किए।

स्थान:

तारीख:

जमाकर्ता/संरक्षक के हस्ताक्षर/अंगूठा छाप

**प्ररूप 3****[पैरा 7 का उप-पैरा 1 देखिए]****(खाते के बंद करने के लिए आवेदन)**

पोस्टऑफिस/बैंक का नाम-----

तारीख

खाता संख्यांक

1. मैं/हम पासबुक /जमा रसीद प्रस्तुत करता हूं और अपने/हमारे तारीख -----को परिपक्व उपरोक्त उल्लिखित खाता को बंद करने के लिए आवेदन करता हूं।

2. कृपया मेरे परिपक्व खाते में अतिशेष रकम का प्रत्यय मेरे बचत बैंक खाता संख्यांक-----स्थित -----  
------(खाता कार्यालय का नाम) करें।

या

कृपया डिमांड ड्राफ्ट/पाने वाले नाम चैक जारी करें

या

कृपया नकद संदाय करें (अनुज्ञेय सीमा से नीचे रकम होने के मामले में लागू)

\*प्रमाणित किया जाता है कि खाते में धृत रकम -----जो जीवित है और अवयस्क है के प्रयोग के लिए अपेक्षित है।

खाताधारक (कों) /संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठा छाप

(लेखा कार्यालय को ज्ञात व्यक्ति द्वारा अंगूठा छाप प्रमाणित की जानी चाहिए)



**संदाय आदेश**

(केवल कार्यालय के प्रयोग हेतु)

तारीख-----

**संदाय ब्यौरा**

मूल रकम रुपए-----

(+ ) देय ब्याज रुपए-----

(-) अधिक संदत्त ब्याज की वसूली रुपए-----

कटौती, यदि कोई हो, रुपए-----

कुल देय रकम रुपए-----

रुपए -----(अंकों में) -----(शब्दों में) का संदाय करें।

स्थान-----

तारीख-----

पोस्टमास्टर/प्रबंधक के हस्ताक्षर

**भुगतान**

(जमाकर्ता द्वारा भरा जाए)

रुपए----- (अंकों में) ----- (शब्दों में) नकद /चैक/डीडी संख्यांक -----तारीख-----  
-----/खाता संख्यांक -----को अंतरण द्वारा, प्राप्त किए।

स्थान:

तारीख:

खाताधारक(कों)/संरक्षक(कों) के हस्ताक्षर

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th December, 2019

**G.S.R. 917(E).**— In exercise of the powers conferred by section 3A of the Government Savings Promotion Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following Scheme, namely:-**1. Short title and commencement.**-(1) This Scheme may be called the National Savings (Monthly Income Account) Scheme, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Definitions.**-(1) In this Scheme, unless the context otherwise requires,-

(a) “account” means an account opened under this Scheme;

(b) “account holder” means an individual in whose name the account is held;

(c) “Act” means The Government Savings Promotion Act, 1873 (5 of 1873);

(d) “Form” means forms appended to this Scheme;

(e) “General Rules” means the Government Savings Promotion General Rules, 2018;

(f) “year” means a period of twelve months commencing from the date of deposit in the account.

(2) Words and expressions used herein but not defined shall have the meanings respectively assigned to them in the Act and in the General Rules.

**3. Opening of account.-**(1) The account may be opened by making an application in Form-1 by-

- (i) a single adult;
- (ii) upto a maximum of three adults in joint names;
- (iii) a minor who has attained the age of ten years;
- (iv) a guardian on behalf of a minor or a person of unsound mind.

(2) An individual may open and operate one or more than one account as a single account or a joint account under this Scheme subject to the ceiling of maximum deposit limit as prescribed in sub-paragraph (2) of paragraph 4.

For the purpose of maximum deposits specified under sub-paragraph (2), the account holder's share in the balance of a joint account shall be taken as one half or one third of such balance as if the account is held by two adults or three adults.

**4. Deposits and withdrawals.-** (1) The account shall be opened with a minimum deposit of one thousand rupees or any sum in multiple of one thousand rupees and there shall be only one deposit in an account.

(2) A maximum of rupees four lakh fifty thousand rupees can be deposited in a single account, account opened under clause (iii) and (iv) of paragraph 3 and nine lakhs rupees in a joint account.

(3) Deposits in all the accounts taken together for an individual shall not exceed four lakh fifty thousand rupees in a single account and nine lakh rupees in a joint account.

**5. Interest on deposit.-** (1) The deposit made under this Scheme shall bear interest at the rate of 7.6 per cent. per annum.

(2) Interest shall be payable to the account holder on completion of a month from the date of deposit.

(3) If the interest payable every month is not claimed by the account holder such interest shall not earn any additional interest.

(4) Interest shall be rounded off to nearest multiple of one rupee and for this purpose any amount of fifty paise or more shall be treated as one rupee and any amount less than fifty paise shall be ignored.

(5) Where a deposit in excess to the ceiling specified under sub-paragraph (2) of paragraph 4 has been made, the accounts office shall refund the excess deposit to the account holder immediately.

(6) The excess amount referred to in sub-paragraph (5), shall carry an interest at the rate applicable from time to time to the Post Office Savings Account and shall be payable to such depositor on such amount.

(7) The interest referred to in sub-paragraph (6) shall be admissible from the date of deposit of the excess amount till the end of the month preceding the month in which the deposit has been refunded.

(8) If the date of payment of monthly interest falls on Sunday or a holiday, the payment shall be deemed to be due on the business day immediately preceding that Sunday or a holiday.

(9) If the deposit is made on 29<sup>th</sup>, 30<sup>th</sup> and 31<sup>st</sup> of a month and if these dates do not come in the following month, the payment of monthly interest shall be made on the last date of the following month and if such last day is a holiday, monthly interest shall be paid on the preceding day.

**6. Premature closure of account.-** The account holder may be permitted to withdraw the deposit and close the account at any time after expiry of a period of one year from the date of opening of such account by making an application in Form-2, subject to the conditions that,-

- (i) if the account is closed on or before the expiry of three years from the date of opening of such account, an amount equal to two per cent. of the deposit shall be deducted and the remainder shall be paid to him; and
- (ii) If the account is closed after the expiry of three years from the date of opening of such account, an amount equal to one per cent. of the deposit shall be deducted and the remainder shall be paid to him.

**7. Closure of account.-** (1) The deposit made at the time of opening of the account and the interest accrued thereupon, shall be paid by the accounts office after completion of five years from the date of the opening the account to the account holder on an application in Form-3.

(2) In case the account holder dies before the maturity of the account, the account may be closed and the deposit shall be refunded as per provisions of the General Rules, alongwith interest upto the month preceding the month in which refund is made.

**8. Application of General Rules.-** The provisions of the General Rules shall, so far as may be, apply in relation to the matters for which no provision have been made in this Scheme.

**9. Power to relax.-** Where the Central Government is satisfied that the operation of any of the provisions of this Scheme causes undue hardship to the depositor, it may by order, for reasons to be recorded in writing, relax the requirements of that provision in a manner not inconsistent with the provisions of the Act.

[F. No. 2/2/2018-NS (Pt. I)]

RAJAT KUMAR MISHRA, Jt. Secy.

**FORM - 1**

[See sub-paragraph (1) of paragraph 3]

**(Application for opening an account)**

To

The Postmaster/Manager

.....  
 .....

Sir,

Paste photograph of applicant/s

I/We .....(account holder(s)/guardian) hereby apply for opening of an account under National Savings (Monthly Income Account) Scheme in your Post Office/Bank.

I/We tender herewith Rs...../(Rs.....) in cash/Cheque/DD. No..... date..... as initial deposit. My/our particulars are as under:-

1. Name of First Depositor

.....

Husband/Father /mother's name or Guardian appointed by Court

.....

Date of Birth

.....

(DD / MM / YYYY )

(In words).....

2. Name of Second Depositor

.....

Husband/Father /mother's name

.....

Date of Birth

.....

(DD / MM / YYYY )

(In words).....

3. Name of Third Depositor

.....

Husband/Father /mother's name

.....

Date of Birth

.....

(DD / MM / YYYY )

(In words).....

4. Name of minor account holder

.....

Father /mother/guardian's name

.....

Date of Birth

.....

(DD / MM / YYYY )

(In words).....

5. Aadhar Number of account holder(s)

.....

6. Permanent Account Number (PAN) of account holder(s)

.....

7. Present Address

.....

.....

Permanent Address

.....

.....

8. Contact details

Telephone Number.....

Mobile Number.....

Email ID.....

9. Type of Account

Single or Joint or through Guardian for minor or person of unsound mind or blind or differently abled through authorized person.

10. (\*)Details of date of birth of minor

.....

(Applicable in case of minor account)

a) Certificate No.

.....

b) Date of Issue

.....

c) Issuing authority

.....

11. (\*) Name of Guardian (Natural/Legal)

.....

(In case the account is opened on behalf of a Minor/person of unsound mind)

12. Details of other KYC documents attached

1. Proof of identification

.....

...

2. Address proof

.....

...

The following documents are accepted as valid documents for the purpose of identification and address proof: 1. Passport 2. Driving license 3. Voter's ID card 4. Job card issued by NREGA signed by the State Government officer 5. Letter issued by the National Population Register containing details of name and address;

13. The operation of the account will be:- (a) By all the holders together or the surviving holder/s.  
(In case of joint account) (b) By either of the holder/s, or the surviving depositor/s,

14. My/our specimen Signatures

1..... 2..... 3.....  
(Name).....

1..... 2..... 3.....  
(Name).....

1..... 2..... 3.....  
(Name).....

1..... 2..... 3.....  
(Name).....

I hereby undertake to abide by the scheme provisions and Government Savings Promotion Rules, 2018 applicable on the Scheme and amendments issued thereto from time to time.

15. I hereby declare details of my existing accounts as on today under National Savings Monthly Income Account in any of the Post office/Bank in the country.

S.No.	Name of Scheme	Date of opening of account	Amount deposited	Customer Identification Number	Account number	Name of Post office/Bank
1.	National Savings Monthly Income Account					

Signature or thumb impression of account holder(s)/guardian

Date:.....

**Nomination**

16. I/we.....hereby nominate the person(s) mentioned below to whom to the exclusion of all other persons in the event of my death the amount standing to my credit in National Savings Monthly Income Account at the time of my death would be payable.

S.No.	Name(s) of the nominee(s) and relationship	Full address (s)	Aadhaar number of nominee(optional)	Date of birth of nominee in case of minor	Share of entitlement	Nature of entitlement Trustee or owner
1						
2						
3						
4						

As the nominee(s) at Serial No.(s).....specified above is/are minor(s), I appoint  
Shri/Smt/Kumari.....S/o,D/o,W/o.....  
.....Address.....  
.....to receive the sum due under the said account in the event of my death during the minority of the nominee(s).

1. Signature of witness.....

Name & Address.....

2. Signature of witness.....

Name & Address.....

Signature or thumb impression of account holder(s) or guardian

Place:

Date:

### For use of Post Office/Bank

The account has been opened in the name of.....on.....with  
initial deposit of  
Rs.....under.....(name of the  
scheme) vide Account No. .... dated .....

Customer identification Number.....

Nomination has been registered vide  
No.....dated.....

Signature and seal of competent authority.

### FORM - 2

[See paragraph 6]

(Application for premature closure of account)

To,

The Postmaster/Manager

.....

.....

Sir,

1. I/we wish to prematurely close my/our Account No. .... having balance of  
.....(Rupees..... Only) opened under National Savings (Monthly  
Income Account) Scheme and request you to pay the amount after deduction of applicable penalty as per  
details given below:-

Please Credit the amount to my SB Account no. .... standing  
at.....(Name of Account office).

or

Please issue a Demand Draft/account payee cheque

or

Please pay in cash (applicable if the amount is below permissible limit)

2. I/We hereby declare that the conditions under which the account can be closed before maturity under the National Savings Monthly Income Account have been complied with.

Necessary documents as applicable are attached as under:-

- 1.
- 2.

\*Certified, that the amount sought to be withdrawn/loan to be availed is required for the use of .....who is alive and still a Minor.

Date:- \_\_\_\_\_ Signature or thumb impression of account holder(s)/guardian

(Thumb impression of the depositor should be attested by a person known to the accounts office)

### For office use only

#### Payment detail

Eligible balance in Account ` . \_\_\_\_\_

Less Penalty amount ` . \_\_\_\_\_

Total Amount to be paid ` . \_\_\_\_\_ (In figures)

(In words) \_\_\_\_\_

Date Stamp \_\_\_\_\_ Signature of Postmaster/Manager

### Acquittance

(to be filled by account holder/ messenger)

Received Rs . \_\_\_\_\_ (In figures) \_\_\_\_\_ (in words) By cash/  
cheque/DD bearing No.) \_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_ / by transfer to Account  
No \_\_\_\_\_.

Date \_\_\_\_\_ Signature/thumb impression of account holder(s)/guardian

### FORM - 3

[See sub-paragraph (1) of paragraph 7]

(Application for closure of account)

Name of Post Office/Bank \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

Account Number \_\_\_\_\_

1. I/we hereby submit pass book/deposit receipt and apply for closure of my/our above mentioned account matured on \_\_\_\_\_.

2. Please Credit the amount of eligible balance in my matured account to my SB Account no. \_\_\_\_\_ standing at \_\_\_\_\_ (Name of Account office).

or

Please issue a Demand Draft/account payee cheque

or

Please pay in cash (applicable if the amount is below permissible limit).

\*Certified, that the amount sought to be withdrawn/loan to be availed is required for the use of .....who is alive and still a Minor.

Signature or thumb impression of account holder(s)/guardian

(Thumb impression should be attested by a person known to Accounts office)

**Payment Order**

(For office use only)

Date .....

**Payment detail**

Principal amount Rs. \_\_\_\_\_

(+ ) Interest due Rs. \_\_\_\_\_

(-) Recovery of overpaid interest Rs. \_\_\_\_\_

Deduction if any Rs \_\_\_\_\_

Total Amount due Rs \_\_\_\_\_

Pay Rs. \_\_\_\_\_ (in figures) \_\_\_\_\_ (in words)

Date

Signature of Postmaster/Manager

**Acquittance**

(to be filled by depositor)

Received Rs . \_\_\_\_\_ (In figures) \_\_\_\_\_ (in words) By cash/cheque/DD bearing no.....dated...../by transfer to Account No.....

Date: \_\_\_\_\_ Signature/thumb impression of account holder(s)/guardian

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2019

**सा.का.नि. 918(अ).**—केंद्रीय सरकार, सरकार बचत सर्वधन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए।

निम्नलिखित योजना बनाती है अर्थात् :-

1 सक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इस योजना का सक्षिप्त नाम राष्ट्रीय बचत आवर्ति निक्षेप योजना 2019 है।

(2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होनी।

2 **परिभाषा** (1) इस योजना में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो

(क) “खाता” से इस योजना के अधीन खोला गया कोई खाता अभिप्रेत है

(ख) “खाता धारक” वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके नाम से खाता धारित है

(ग) “अधिनियम” से सरकार बचत संवर्धन अधिनियम 1873 (1873 का 5) अभिप्रेत है